कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैढ़न CIN-U41000MP2012SGC028798
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

क्रमांक 77 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023 सिंगरौली दिनांक 12/01/23

प्रति,

वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सिंगरौली

विषयः- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को राजस्व विभाग की नजूल भूमि के हस्तांतरण के संबंध में।

संदर्भः-
1. आपका पत्र क्र. 6368 दिनांक 29.08.2022
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1908 दिनांक 15.12.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 60 दिनांक 06.01.2023
4. न्यायालय कलेक्टर, सिंगरौली का आदेश पत्र क्र. 55/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 13.12.2022

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि वैढ़न-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन अनुमति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पिपरी, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली की भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु दिनांक 10.01.2023 को म.प्र. शासन, वन विभाग के श्री रत्नाकर बीट गार्ड, राजस्व विभाग के श्री दिनेश भाबर (पटवारी), जल निगम सिंगरौली के श्री राघवेन्द्र यादव (सहा. इंजी.) एवं निविदा एजेंसी (मे. विजय कुमार मिश्रा) के प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर श्री आशीष शुक्ला सहित ग्राम पिपरी में आराजी नं. 245 रकबा 20.95 हे0 का संयुक्त सर्वे/सीमांकन किया जा चुका है जिसमें पाया गया कि खसरा नं. 245 रकबा 20.95 हे0 हस्तांरित भूमि में से मात्र 17.00 हे0 ही वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है। जिसका पंचनामा संलग्न किया जा रहा है।

क्र.	योजना	प्रकरण क्रमांक	कुल रकवा (हे0)	धारित रकवा (हे0)	शेष रकवा (हे0)
01	गोण्ड देवसर	144394	17.00	3.9589	13.0411
03		151448		4.9627	8.0784
04		151757		4.8057	3.2727
05	वैढ़न-2	154848		2.9455	0.3272
		कुल	17.00	16.6728	0.3272

अतः उपरोक्त प्रकरण क्रमांक से राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

o/c

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

पृ.क्रमांक 78 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023 दिनांक 12/01/23

प्रतिलिपि-
1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
2. तहसीलदार, तहसील चितरंगी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वन क्षेत्राधिकारी, वन मंडल कर्थुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

13/1/23
आवक शाखा
कलेक्टर जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

पंचनामा

स्थान - पिपरी
दिनांक - 10-01-2023

हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता पंचान यह सही - सही पंचनामा लिखाते हैं कि आज दिनांक 10/01/2023 को म०प्र० शासन वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जल निगम सिंगरौली के अधिकारी/कर्मचारी तथा प्रोजेक्ट कवडिनेटर श्री विजय कुमार मिश्रा जी सहित ग्राम - पिपरी में आराजी नम्बर - 245 राजस्व भूमि का संयुक्त सर्वे करके आज/जहां उक्त खसरे की कुल रकबा = 20.95 हेक्टेयर का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला - सिंगरौली के आदेश क्रमांक/प्रकरण नंबर - 55 (अ) - 20 (3)/2022-23 दिनांक 13/4/2022 से राजस्व विभाग की उक्त भूमि में से = 20.80 हे० रकबा वन विभाग सिंगरौली को हस्तांतरित की गई है जिसका पुनः सर्वे एवं सीमांकन करने पर पाया गया कि खसरा नम्बर - 245 रकबा = 20.80 हे० हस्तांतरित भूमि में से मात्र - = 17.00 हेक्टेयर भूमि ही वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रदान किए जाने योग्य है शेष भाग में ग्रामीणों के आवागमन हेतु उक्त पहाड़ी के चारों ओर पंचायती रोड/P.C.C सड़क एवं अन्य ग्रामीण जनों के मकान (कच्चे/पक्के) काफी दिनों से बने हुए हैं तथा फसल आदि की बुवाई कर अतिक्रमण किया गया है। इसलिए अतिक्रमित व रोड वाली रकबा को छोड़कर उक्त खसरे में से मात्र = 17.00 हेक्टेयर भूमि ही वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रदाय किया जाना उचित होगा। जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की आपसी सहमति बनी। जिसका पंचनामा हम पंचों ने लिखाकर पढ़ा - सुना व सही पाया तब सोच समझकर हम पंचों ने पूरे होश - हवाश में अपना - 2 हस्ताक्षर किया।

पंचनामा मेरे द्वारा गवाहों के समक्ष मौके स्थल पर लेख किया गया।

[signature]
10-01-023
बीटप्रभारी - धानी

[signature]
पा०रि० सहायक
हरफरी

उपस्थित गवाहों के ह०

[signature]
PC-(VKMCPL)

[signature]
AE (जलनिगम)

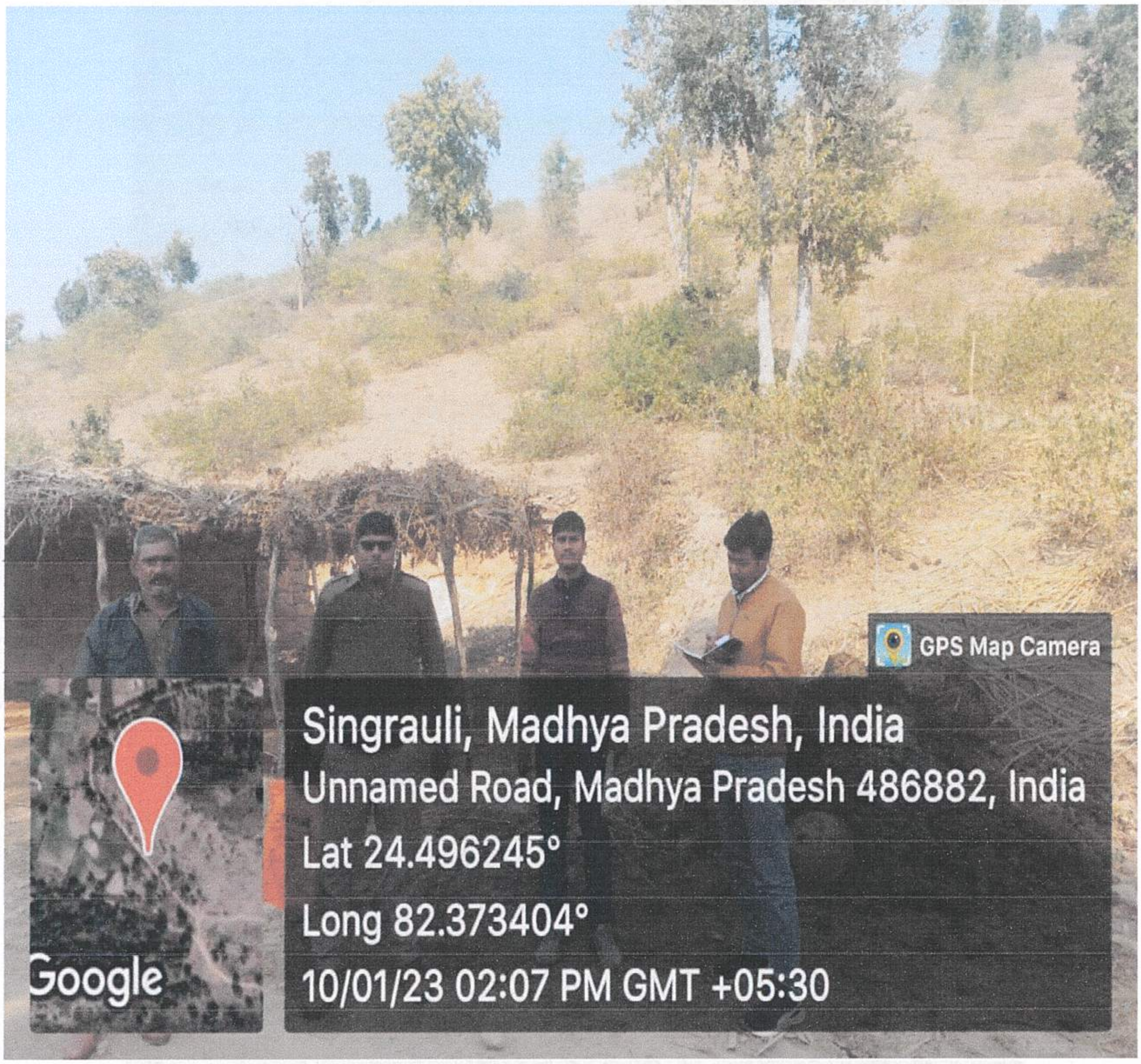
GPS Map Camera
Singrauli, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Madhya Pradesh 486882, India
Lat 24.496245°
Long 82.373404°
10/01/23 02:07 PM GMT +05:30
Google

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैढ़न
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in

CIN-U41000MP2012SGC028798
Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 60 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023 दिनांक 06/01/23

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- गोण्ड देवसर, वैढ़न-1 एवं बैढन-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर पाइप लाईन बिछाने की अनुमति।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर पाइप लाईन बिछाने की अनुमति चाही गई थी।

विभाग द्वारा ग्राम पिपरी, तहसील चितरंगी के आ0क्र0 245 रकबा 17.00 हे0 राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

क्र.	योजना	प्रकरण क्रमांक	कुल रकवा (हे0)	धारित रकवा (हे0)	शेष रकवा (हे0)
01	गोण्ड देवसर	144394	17.00	3.9589	13.0411
03		151448		4.9627	8.0784
04		151757		4.8057	3.2727
05	वैढ़न-2	154848		2.9455	0.3272
		कुल	17.00	16.6728	0.3272

अतः उपरोक्त भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

पृ. क्रमांक 61 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023 दिनांक 06/01/23

प्रतिलिपि:-

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिंगरौली की ओर सूचनार्थ

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ई. सिंगरौली

Scanned with OKEN Scanne

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

रजि. कार्यालय: दी विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in
CIN-U41000MP2012SGC028798
Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in)

क्रमांक 1908 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.कि.ई./2022 दिनांक 15-12-22
प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग चितरंगी
जिला सिंगरौली

विषयः- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म०प्र० शासन, वन विभाग को राजस्व विभाग की नजूल भूमियों के हस्तांतरण के संबंध में।

संदर्भः- 1.न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म०प्र०) का प्रकरण आदेश क० 55/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 13.12.2022
2 वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र कर्थुआ का पत्र क. 1185 दिनांक 28.08.2022
3 वन मंडल अधिकारी सिंगरौली का पत्र क. 6369 दिनांक 29.08.2022

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. जल निगम मर्यादित, परि. क्रिया. इकाई सिंगरौली द्वारा जिले के 699 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत गोण्ड देवसर, बैढन-1 एवं बैढन-2 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्रोत से प्रत्येक ग्राम तक एवं ग्राम के भीतर घरों तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। पाइपलाइन कई क्षेत्रों में वन भूमियों से होकर बिछाई जाना है। उक्त वन भूमियों के बदले समतुल्य भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराया जाना है। वन भूमियों के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पिपरी, तहसील चितरंगी स्थित राजस्व विभाग की नजूल आराजी खसरा नम्बर 245 रकबा 20.950 हे० के अंश रकबा 20.80 हे० हस्तांतरण करने की अनुमति संदर्भित आदेश द्वारा प्राप्त हुआ है।

संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से वन मंडल अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया गया है कि खसरा नं. 245 रकबा 20.95 हे० के अंश रकबा 17.00 हे० वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अतः ग्राम पिपरी, तहसील चितरंगी स्थित राजस्व विभाग की नजूल आराजी खसरा नम्बर 245 रकबा 20.950 हे० के अंश रकबा 17.00 हे० वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन, वन विभाग को हस्तांतरित करते हुए अंतरित भूमियों की अभिलेखीय प्रविष्टियों को तब्दीलात दुरूस्त कराये एवं मौके से सीमांकन कराते हुए वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अधिकृत वन अधिकारी को कब्जा दिलाने हेतु राजस्व एवं वन विभाग के अमले को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

पृ. क्रमांक 1909 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.कि.ई./2022 दिनांक 15.12.2022
प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिंगरौली की ओर सूचनार्थ
2. वन मंडल अधिकारी, वन मंडल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. तहसीलदार, तहसील चितरंगी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ई. सिंगरौली

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)/2022-23

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को नजूल भूमियों का अन्तरण।

आदेश

(आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को पारित एवं घोषित)

प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सिंगरौली जिले के 689 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत गोण्ड देवसर, वैढ़न-1 एवं वैढ़न-2 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्त्रोत से प्रत्येक ग्राम तक एवं ग्राम के भीतर घरों तक पाइप लाइन बिछायी जा रही है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य सड़क के आर0ओ0डब्ल्यू0 अथवा उपलब्ध अलाइनमेंट पर किया जाना है। यह पाइप लाइन कई क्षेत्रों में वन भूमियों से होकर ले जाई जाना अपरिहार्य है। वन भूमियों से होकर पाइप लाइन बिछाने से आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई भी अपरिहार्य होगी। 'जल जीवन मिशन' के लिए नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा उक्त कार्य में प्रभावित विभिन्न वनखण्डों की लगभग 91.00 हेक्टर वन भूमियाँ उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त वन भूमियों के बदले में वन विभाग को समतुल्य भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है। महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा ग्राम अन्यान्य ग्रामों सहित पिपरी, तहसील चितरंगी स्थित नजूल आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 20.950 हे0 का अन्तरण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को किए जाने का अनुरोध किया गया है जिससे कि वन विभाग की प्रभावित भूमियां योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध हो सकें।

2- 'जल जीवन मिशन' योजना की महत्ता क दृष्टिगत वन विभाग की प्रभावित हो रही भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नजूल भूमियां वन विभाग को अन्तरित किए जाने हेतु प्रकरण नजूल निवर्तन निर्देश, 2020 के तहत पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को अन्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा उक्त निर्देशों के तहत अपेक्षित बिन्दुओं पर जांच कराई गई। इश्तहार प्रकाशित कराया गया। जांच उपरान्त प्रतिवेदन के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम पिपरी, तहसील चितरंगी स्थित आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 20.959 हे0 का अंश रकबा 20.80 हेक्टर का अन्तरण वन विभाग को किया जाना प्रस्तावित किया गया है। 0.15 हे0 रकबे पर अतिक्रमण होने से उक्त रकबा प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।

3- प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की नजूल भूमि हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष का स्वत्व निहित नहीं है। उद्घोषणा प्रकाशन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जिला नजूल निवर्तन समिति, सिंगरौली द्वारा बैठक दिनांक 16.11.2022 में प्रस्तावित नजूल भूमियां वर्णित प्रयोजन हेतु वन विभाग को अन्तरित किए जाने की

क्रमशः....

प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)/2022-23

स्वीकृति प्रदान की गई है । वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा प्रस्तावित भूमियों की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के संबंध में पत्र क्रमांक मा0चि0/6368 बैढ़न, दिनांक 29.8.2022 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि:- ''म0प्र0 जल निगम द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि के बदले इस विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि दिया जाना है जिसका स्थल निरीक्षण संलग्न सूची अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकार कथुआ से कराया गया है जो निम्नानुसार है .... । अत: स्थल निरीक्षण पंचनामा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।'' उक्तानुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमियों के अन्तरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है । तात्पर्य यह कि प्रस्तावित भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं ।

4- अतएव वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली के उक्त प्रतिवेदन तथा जिला नजूल निवर्तन समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार ग्राम पिपरी, तहसील चितरंगी स्थित आराजी खसरा नंबर 245 का अंश रकबा 20.80 हेक्टर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अन्तरित की जाती हैं । तहसीलदार, तहसील सिंगरौली उक्तानुसार अन्तरित भूमियों की अभिलेखीय प्रविष्टियों की तब्दीलात दुरुस्त करावें एवं मौके से सीमांकन कराते हुए वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अधिकृत वन अधिकारी को कब्जा दिलाते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(अरुण परमार) 13/12/2022
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 694(3) /अभि0पासबुक/2022-23 सिंगरौली, दिनांक 13/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली
2. उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी
3. तहसीलदार, चितरंगी
4. महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर 13.12.2022
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

कार्यालय
वन मंडल अधिकारी
सिंगरौली (म.प्र.)

E-Mail-dfot.sgl@mp.gov.in फोन नम्बर-07805-233336

क्रमांक / मा0चि0 / 6368 वैढ़न, दिनांक- 29-08-022

प्रति,

कलेक्टर
सिंगरौली, जिला-सिंगरौली

विषयः- वन अनुमति के प्रकरणों हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये भूमि का चयन।

संदर्भः- महाप्रबंधक म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली का पत्र क्र0 1208 / महा.प्रबं. / म.प्र.ज.नि.मर्या. / परि.क्रि.ई. / 2022 दिनांक 10.08.2022.

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित के संबध में लेख है कि म0प्र0 जल निगम द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि के बदले इस विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि दिया जाना है जिसका स्थल निरीक्षण संलग्न सूची अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्थुआ से कराया गया जो निम्नानुसार है:-

स्थल का नाम	प्रस्तावित खसरे का कुल क्षेत्र (हे0 में)	खसरा क्रमांक	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त भूमि (अतिक्रमण रहित) हे0 में	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त भूमि के खसरे	रिमार्क
नौगई-द्वितीय	111.30	64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79 80, 84	78.544	64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79 80, 84	
पिपरी (धानी)	65.91	245, 447, 448, 449, 450, 457, 465, 478, 489, 491, 497	17.000	245	
सोनहरा, पडरी	57.06	16 / 1, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88	0.000	0	राजस्व भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से मिश्रित प्रजाति का जंगल सघन मात्रा में मौजूद है, जो कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त नही है।
	234.27 हे0	योग	95.544 हे0		

F:\shweta docs\prashant\New Microsoft Word Document.docx

अतः स्थल निरीक्षण पंचनामा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मधु. व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
सा.वन मण्डल सिंगरौली

पु0क्र0 / मा0चि0 / 6369
प्रतिलिपि:-

सिंगरौली, दिनांक 29-08-[illegible]

01. महाप्रबंधक म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
सा.वन मण्डल सिंगरौली